<u>न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ</u>

पीठासीन अधिकारी (मांगी लाल) आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः- 251 क(1) आर.टी.ए.

प्रकरण संख्याः 187/2023

1 पून्ना राम पुत्र तारूराम जाति नायक निवासी रोड़ांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ
2 गुलाम फरीद पुत्र अल्लाबक्श जाति मुसलमान निवासी रोड़ांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ
3 अदरीश मोहम्मद पुत्र मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ
4 शरीफ मोहम्मद पुत्र मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ
5 हनीफ मोहम्मद पुत्र मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ

-:प्रार्थीगण

<u>बनाम्</u>

1 अमनदीप पुत्र मलकीत जाति बाजीगर निवासी रोड़ांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ

-:असल अप्रार्थीगण

3 जगदीश पुत्र मोहन लाल, जाति लखोटिया, निवासी धान मण्डी, हनुमानगढ, तहसील व जिला हनुमानगढ
4 परमजीत कौर पत्नी रिछपाल सिंह, जाति रायसिख, निवासी नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ
5 गुलजारा पत्नी हनीफ मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी रोड़ांवाली, तहसील व जिला हनुमानगढ

-:तरतीबी अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

1. श्री रामानंद बोहरा - अधिवक्ता प्रार्थी
2. अप्रार्थी सं. 1 स्वयं उपस्थित व एक पक्षीय कार्यवाही अप्रार्थी सं. 3 ता 5
3. राजपैरोकार - अप्रार्थी सं. 2

-::<u>निर्णय</u>::-

दिनांक ...2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:36:48 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री रामानंद बोहरा द्वारा पेश यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (1) आर.टी.एक्ट जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण नम्बर 1 ता 5 की आराजी कृषि भूमि चक 3 आर.आर.डब्ल्यू (ए) के प.नं. 128/228 मु नं. 24 के किला नं. 6/1, प नं. 129/228 के मु.नं. 25 के किला नं. 3, 8, 13, 18, 23 व प.नं. 129/229 के मु. नं. 36 के किला नं. 1, 10, 11, 20, प नं. 128/229 के मु.नं. 37 के किला नं. 25/1 व प.नं. 131/238 मु.नं. 78 के किला नं. 10, 11, 12, 19, 22 प.नं 131/239 के मु.नं. 86 के किला नं. 1 इस प्रकार कुल योग 17 बीघा अर्थात 4.048 हैक्टेयर नहरी गै.मु. आराजी कृषि भूमि खातेदारी राजस्व रिकार्ड दर्ज संलग्न जमाबंदी प्रार्थना

पत्र से स्पष्ट रोशन है एवं प्रार्थीगण 3 ता 5 अदरीश पुत्र मोहम्मद सदीक, गुलजारा पत्नी हनीफ मोहम्मद, शरीफ पुत्र मोहम्मद सदीक, जगदीश प्रसाद पुत्र मोहन लाल की संयुक्त खाते की चक नं. 3 आरआरडब्ल्यू ए प.नं. 130/138 मु नं. 40 किला नं. 6, 15 व प.नं. 129/228 मु.नं. 25 के किला नं. 4, 5, 7 व 17/2 एवं प.नं. 131/238 के मु.नं. 78 के किला नं. 23 इस प्रकार कुल किला योग 7 भूमि अपने आराजी कृषि भूमि में आवागमन करते हैं परंतु प्रार्थी नं. 1 ता 5 को किला नं. 1/1 में रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से प्रार्थी नं. 1 ता 5 को अपने आराजी कृषि भूमि में आने जाने व आवागमन करने के लिए कानूनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

यह है कि अप्रार्थीगण नं. 1 अमनदीप पुत्र श्री मलकीत सिंह की आराजी कृषि भूमि चक 3 आर.आर.डब्ल्यू. ए के प.नं. 131/238 मु.नं. 78 के कि नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2 कुल तादादी 0.506 हैक्टेयर अनकमाण्ड मय रास्ता कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदारी है जिसमें से अप्रार्थी नं. 1 अमनदीप पुत्र मलकीत सिंह जाति बाजीगर निवासी रोड़ांवाली ने पूनाराम पुत्र तारूराम जाति नायक निवासी रोड़ांवाली को प.नं. 131/238 के मु नं. 78 के किला नं. 1/1 की 0.013 हैक्टेयर अनकमाण्ड पश्चिमी दिशा की भूमि रास्ता प्रयोजन हेतु कृषि भूमि को 2,00,000/- रूपये अखरे दो लाख रूपये में बैय कर दी जो इकरारनामा दिनांक 23.4.2022 गवाहान नरेन्द्र कुमार पुत्र बलराम, सुभान खान पुत्र मोहम्मद खान, गुलाम फरीद पुत्र अल्ला बक्श, अदरीश मोहम्मद पुत्र मोहम्मद सदीक निवासी रोड़ांवाली के रूबरू पूनाराम को बैय कर दी है जो प्रार्थी नं. 2 ता 5 के कृषि भूमि में आने जाने व अवागमन करने के लिए रास्ते के प्रयोजन के लिए बैय की है जो नोटेरी पब्लिक एडवोकेट हरिमोहन महर्षि द्वारा प्रमाणित है। अप्रार्थी नं..1 के आराजी कृषि भूमि के प नं. 131/238 मु नं. 78 किला नं. 1/2 व 2/2 में से गै.मु. रास्ता 0.025 प्रत्येक किला में गुजरता है जो आम रास्ता है जबकि प्रार्थी नं. 1 के प नं. 131/238 के मु.नं. 78 के किला नं. 10 व प्रार्थीगण नंबर 2 ता 5 के प नं. 130/138 के किला नं. 6 में आवागमन करने के लिए अप्रार्थीगण सं. 1 के किला नंबर 1/1 में से एक-एक बिस्वा रास्ता 0.013 हैक्टेयर रास्ता से प्रार्थीगण अपनी आराजी कृषि भूमि में सदामत से निर्बाध रूप से आवागमन करते आ रहे हैं जो रास्ता वरवक्त मौके पर चल रहा है व उपयोग व उपभोग में लिया जा रहा है।

यह कि प्रार्थीगण नं. 2 ता 5 की आराजी कृषि भूमि अप्रार्थी नं. 1 की आराज़ी, कृषि भूमि से चिपती हुई कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थीगण नं. 2 ता 5 अप्रार्थीगण नं. 1 की आराजी कृषि भूमि चक 3 आरआरडब्ल्यू ए के प.नं. 131/238 के मु.नं. 78 के किला नं. 1/1 की अनकमाण्ड कृषि भूमि के पश्चिमी दिशा में रास्ते के प्रयोजन हेतु पूनाराम पुत्र तारूराम जाति नायक के नाम से बैनामी क्रय की है क्योंकि अप्रार्थी नं. 1 अमनदीप पुत्र मलकीत जाति बाजीगर अनुसूचित जाति का है जिसकी प्रार्थीगण नं. 2 ता 5 अल्पसंख्यक की श्रेणी में आने के कारण अनुसूचित जाति के सदस्य की आराजी कृषि भूमि कानूनन क्रय नहीं कर सकते इसलिए अप्रार्थी न. 1 को प्रार्थी नं. 1 जो अनुसूचित जाति का सदस्य पू[illegible] [illegible] नं. 2 जाति नायक अप्रार्थी सं. 1 की आराजी कृषि भूमि क्रय करने में सक्षम [illegible] ता 5 ने वैयनामा अपनी आराजी कृषि भूमि में आने जाने व आवागमन [illegible] के प्रयोजन हेतु क्रय की है जिसमे प्रार्थी नंबर 1 पूनाराम भी अप्रार्थीगण की [illegible] कुछ भूमि हिस्से पर काश्त करता है जो आवागमन करता है जो प्रार्थीगण के लिए सुवि[illegible]क रास्ता है जिसके प्रतिफल स्वरूप अप्रार्थी नं. 1 को 2,00,000 रूपये अखरे दो लाख रूपये भुगतान रोबरू गवाहान कर दिया है। प्रार्थीगण अरसादराज से इसी रास्ते से निर्बाध रूप से आवागमन

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:36:48 IST
Reason: SelfAttested

करते आ रहे हैं। यह रासता की आराजी भूमि बैनामी कय रास्ता के प्रयोजन हेतु की है जो प्रार्थी नं. 2 ता 5 के कृषि भूमि में सुविधाजनक आवागमन हेतु है।

यह कि प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित आराजी कृषि भूमि में आवागमन के लिए अप्रार्थी की आराजी कृषि भूमि चक 3 आरआरडब्ल्यू ए के प.नं. 131/238 के मु नं. 78 का कि नं. 1/1 की 0.013 पश्चिमी दिशा की सींव तरफ से अपनी आराजी कृषि भूमि में उंट गाड़ा, ट्रेक्टर आदि आने जाने के लिए प्रार्थीगण अरसादराज से आवागमन करता आ रहा है एवं उपरोक्त वर्णित रास्ते के सिवाय प्रार्थीगण का अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता नहीं है जबकि उपरोक्त वर्णित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण को कानूनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है जो राजस्व रिकार्ड में रास्ता गैर मुमकिन दर्ज किया जावे। इस प्रकार प्रार्थीगण नं. 1 ता 5 को अप्रार्थी के किला नं. 1/1 के पश्चिमी दिशा की सींव पर उत्तर से दक्षिण 0.013 हैक्टेयर रास्ता पूर्व से पश्चिम की ओर आम रास्ते में मिलता है जो सुविधाजनक रास्ता है।

यह कि प्रार्थीगण को अपनी आराजी कृषि भूमि में कृषि कार्य करने के लिए आवश्यकतानुसार उंट गाड़ा, ट्रैक्टर ट्राली व अन्य मशीनरी आदि के लिए आवागमन पूर्व में अरसादराज से निर्बाध रूप से करते आ रहे हैं एवं अब अप्रार्थी नं. 1 को रास्ते के बदले ली गई आराजी कृषि भूमि की कीमत (मूल्य) 2,00,000 दो लाख रूपये का भुगतान रोबरू गवाहान कर दिया है परंतु राजस्व रिकार्ड में रास्ते के अंकन (दर्ज) होना कानूनन व विधि सम्मत है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

यह कि प्रार्थी नं. 1 की आराजी कृषि भूमि अप्रार्थी नं. 1 से चिपती हुई है जिसमें प नं. 131/238 के किला नं. 1/1 के पश्चिम दिशा की सींव पर उत्तर से दक्षिण की ओर एक एक बिस्वा रास्ता 0.013 हैक्टेयर प्रार्थी नं. 2 ता 5 के आराजी कृषि भूमि के प नं. 131/238 के मु नं. 78 के किला नं. 10 में व प्रार्थी नं. 3 ता 5 के प.नं. 130/238 के किला नबर 6 में आसानी से सुविधाजनक रास्ता चल रहा है जो सदामत से उपयोग व उपभोग में है परंतु अब उपरोक्त वर्णित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है जो प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के क्षतिपूर्ति हेतु अखरे दो लाख रूये, 2,00,000 रूपये का भुगतान अप्रार्थी अमनदीप को कर दिया है परंतु राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने को अप्रार्थी नंबर 1 को कहा तो अप्रार्थी आजकल आजकल करते हुए आज से 7 दिवस पूर्व राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने से इनकार कर दिया यही वाद कारण है जिससे प्रार्थीगण का कानूनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो आज प्रार्थीगण नं. 2 ता 5 की आराजी कृ षि भूमि में आने जाने के लिए रास्ता की राजस्व रिकार्ड में दर्ज की आवश्यकता है।

यह कि अप्रार्थीगण यदि अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान व क्षति होगी। प्रार्थीगण के आराजी कृषि भूमि के लिए अन्य कोई सुविधाजनक व स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है।

यह कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है जो उचित कोर्ट फीस पर श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत है।

अतः श्रीमानजी की सेवा में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण नंबर 1 ता 5 के चक नंबर 3 आर.आर.डब्ल्यू ए के प.नं. 131/238 के मु नं. 78 में स्थित खातेदारी कब्जा काश्त आराजी कृषि भूमि में आवागमन व कृषि कार्य करने हेतु सुविधाजनक रास्ता अप्रार्थी नं. 1 की आराजी कृषि भूमि चक 3 आर.आर.डब्ल्यू ए के प.नं. 131/238 के किला नं. 1/1 के पश्चिमी दिशा की सींव पर उत्तर से दक्षिण की ओर एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2022.07.22 14:36:48 IST
Reason: SelfAttested

6

बिस्वा चौड़ा रास्ता 0.013 हैक्टेयर स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश करें जबकि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को रास्ते के बदले भूमि की क्षतिपूर्ति राशि 2,00,000 अखरे दो लाख रूपये का भुगतान कर दिया है जो संलग्न स्टाम्प दस्तावेज है जो रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

» प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 स्वयं हाजिर आकर शपथ पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रश्नगत प.न. 131/238 मु.न. 78 कि.न. 1/1 में 0.013 हैक्टेयर पश्चिमी दिशा में रास्ता प्रयोजनार्थ भूमि प्रार्थी पून्नाराम को दी गई है तथा प्रतिफल राशि भी प्राप्त कर ली है। अप्रार्थी सं. 3 ता 5 तलबी उपरांत हाजिर नहीं आने के कारण इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार हनुमानगढ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की कार्यवाही एक संक्षिप्त विचारण है जिसकी मंशा यह है कि काश्तकारों को अपनी खातेदारी जोत तक पहुंचने के लिए निर्बाध रूप से रास्ता प्राप्त होना चाहिए। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानान्तर्गत भू.अ.निरीक्षक या उससे वरिष्ट स्तर के राजस्व अधिकारी से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) के संबध में रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु निम्नाकिंत बिन्दूओं का विवेचन किया गया-

1 **रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता।**

2 **वैकल्पिक रास्ते का अभाव।**

3 **नया मार्ग लघुतम रूट से हो।**

पत्रावली में मौजूद जमाबंदी, नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। चूंकि धारा 251ए एक संक्षिप्त विचारण है। प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। मनन उपरांत यह निष्कर्ष है कि प्रार्थी द्वारा याचित रास्ता व अप्रार्थी सं. 1 द्वारा पेश शपथ पत्र में सुझाया गया रास्ता समान है। याचित रास्ते द्वारा ही प्रार्थी को अपनी जोत में पहूंच सकता है। प्रार्थी को अपनी जोत में पहूंच का रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251 (।) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत प्रदान किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध नही है। कानुनन स्वीकृतशुदा रास्ते से प्रार्थी की खातेदारी जोत तक पहुचने हेतु सबसे निकटतम रास्ता स्वीकृत होना चाहिए तथा प्रार्थी की खातेदारी आराजी को पहुच हेतु सबसे नजदीक रास्ता मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट व नजरी नक्शा के प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251(।) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में तहसीलदार मौका रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा अनुतोष में वांछित रास्ता में लघुतम दूरी का होना, वैकल्पिक मार्ग का नही होना और मार्ग की अत्यांतिक आवश्यकता [illegible] पाया गया है। प्रार्थी उक्त तीनों बिंदुओ को अपने पक्ष में साबित करने में [illegible] प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 251 ए में वर्णित प्रावधानों के अनुसार [illegible] स्वीकार किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र सहमति होने के कारण स्वीकार कर उक्त विवेचन उपरांत आदेश दिए जाते है किः-

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:36:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

187/2023